हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 50/2023 अनवान लक्ष्मीदेवी बनाम खेताराम वगैराह

नम्बर ... अहकाम ... हुकम की ... मे जारी हु...

तारीख हुकम	
28/12/23	आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हुए है, जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थीनी उपस्थित। वकील प्रार्थीनी की ईकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी का कथन है कि उसके द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 व 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थीनी सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 02 एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा लंगेरा पटवारी हल्का आटी तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 544/91 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 596/124 रकबा 0.9551 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 123 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी 1/3 हिस्सा व आराजी मौजा पिण्डियों का तला पटवार हल्का आटी तहसील बाड़मेर के खसरा नम्बर 117/54 रकबा 1.5216 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा की पैतृक व पुश्तैनी भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/3–1/3 पैतृक आया हुआ है। प्रार्थीनी को उसकी पैतृक भूमि से वंचित करने के लिये विप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रार्थीनी की सहमति के बिना करते हुए प्रार्थीनी को उनके हक एवं हिस्से की भूमि से वंचित किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि होने से प्रार्थीनी का जन्म से हिस्सा निहित है। प्रार्थीनी का नाम खातेदारी में अंकित नही होने से अप्रार्थीगण उसका फायदा उठाकर प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर अन्य को बेचान करने पर उतारू है। यदि विप्रार्थीगण, प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर भूमि का बेचान करने में सफल होते है तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में है। लिहाजा प्रार्थीनी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मौजा लंगेरा पटवारी हल्का आटी तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 544/91 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 596/124 रकबा 0.9551 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 123 रकबा 0.0243 हैक्टेयर व आराजी मौजा पिण्डियों का तला पटवार हल्का आटी तहसील बाड़मेर के खसरा नम्बर 117/54 रकबा 1.5216 हैक्टेयर भूमि में मौके व रेकर्ड की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थीनी अधिकारी है।
	वकील प्रार्थीनी को सुनने के पश्चात पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत तर्को

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 16:30:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

13/08/24

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीनी एवं वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी का कथन है कि उसके द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 व 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थीनी सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 02 एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा लंगेरा पटवारी हल्का आटी तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 544/91 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 596/124 रकबा 0.9551 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 123 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी 1/3 हिस्सा व आराजी मौजा पिण्डियों का तला पटवार हल्का आटी तहसील बाड़मेर के खसरा नम्बर 117/54 रकबा 1. 5216 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा की पैतृक व पुश्तैनी भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/3–1/3 पैतृक आया हुआ है। प्रार्थीनी को उसकी पैतृक भूमि से वंचित करने के लिये विप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रार्थीनी की सहमति के बिना करते हुए प्रार्थीनी को उनके हक एवं हिस्से की भूमि से वंचित किया जा रहा है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28. 12.2023 को वाद के निर्णय तक प्रार्थीनी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मौजा लंगेरा पटवारी हल्का आटी तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 544/91 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 596/124 रकबा 0.9551 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 123 रकबा 0. 0243 हैक्टेयर एवं मौजा पिण्डियों [illegible] पटवार हल्का आटी तहसील बाड़मेर के [illegible] 117/5[illegible] 6 हैक्टेयर भूमि में मौके व रेकर्ड [illegible] प्राप्त करने की प्रार्थीनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 16:50:39 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी 01 व 02 ने बहस कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही की

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर